प्रेषिका,

माधवी सिंह
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0 / कोर्ट सं0–3, मुरादाबाद ।

सेवा में,

महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

विषय – <u>विधि स्नातकोत्तर (एल०एल०एम०) की उपाधि धारक होने के आधार पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के संबंध में।</u>

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थिनी ने **UP HJS-2018(III)** की परीक्षा उत्तीर्ण कर उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) के अंतर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मथुरा के पद पर दिनांक 21.03.2020 को पदभार ग्रहण किया है। प्रार्थिनी ने नियुक्ति से पूर्व ही विधि स्नातकोत्तर (एल०एल०एम०) उपाधि डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से सन् 2010 में उत्तीर्ण की हुयी है, जिसकी अंकतालिका की प्रतिलिपि **संलग्नक सं0 1 व 2** के रूप में संलग्न है।

1. प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनाक 21.03.2002 के अनपालन में उ०प्र० राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को शासन के आदेश सं 1363 / 2–4–2009–45(12) / 91 टीसी दिनाक 13 मई 2009 तथा सपठित शासन के पत्र सं 1705 / 2–4–2011–45(12) / 91 टीसी दिनांक 13.01.2013 द्वारा मा० शेट्टी आयोग की संस्तुति को दिनांक 21.03.2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ०प्र० राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यार्थियों को 03 अग्रिम वेतनवृद्धियां प्रदान की गयी थीं।

2. इसी प्रकार रिट याचिका सं0 सी० 19 / 2012 भरत कुमार शान्तिलाल ठक्कर बनाम गुजरात राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2014 के क्रम में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र दिनांक 15.11.2014 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के दृष्टिगत दिनांक 21.03.2002 के पूर्व चयनित एवं चयन के समय विधि की स्नातकोत्तर उपाधि (एल०एल०एम०) धारित करने वाले उ०प्र० न्यायिक सेवा एवं उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भती) के अधिकारियों को भी शासन के आदेश सं0 2 / 2015 / 355 / 2–4 / 2015–45 (12) / 91 टीसी दिनांक 27.03.2015 **(संलग्नक 3)** द्वारा 03 अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ प्रदान किया गया था।

प्रार्थिनी उपरोक्त शासनादेशों के आधार पर तीन अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त करने हेतु योग्य है ।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि विधि स्नातकोत्तर (एल०एल०एम०) की उपाधि धारक होने के आधार पर दिनांक 21.03.2020 से मेरे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मथुरा के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु समुचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक– 07.01.2021

भवदीय,

(माधवी सिंह),
(J.O. Code- UP2705)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
एफटीसी/कोर्ट सं0–3, मुरादाबाद।

संलग्नकः–

1–एल0एल0एम0 की प्रथम वर्ष की अंकतालिका की प्रतिलिपि।
2–एल0एल0एम0 की अंतिम वर्ष की अंकतालिका की प्रतिलिपि।
3–शासनादेश सं0 2/2015/355/2–4/2015–45 (12)/91 टीसी दिनांक 27.03.2015 की प्रतिलिपि।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश मुरादाबाद।

पत्रांक– /2021 (प्रशा0) मुरादाबाद दिनांकः

अग्रसारित,

महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

माननीय जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।